UPJS010011752023

न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनु.जाति और अनु. जनजाति (अत्याचार निवारण)अधिनियम/अपर जिला जज,झांसी।

उपस्थितः- नेत्रपाल सिंह (एच०जे०एस०)

(JO CODE-UP6348)

निर्णय का दिनांक- 01. 08. 2026

सिविल निगरानी सं- 11/ 2023

प्रमोद कुमार सेठी पुत्र स्व . श्री रामलाल सेठी निवासी मकान नं 720 मसीहागंज सीपरी बाजार झांसी। ----**पुनरीक्षणकर्ता**

बनाम

1- नईम अख्तर पुत्र स्व. श्री अली बख्श

2- शमीम अख्तर पुत्र स्व. श्री अली बख्श

निवासीगण मसीहागंज सीपरी बाजार झांसी। ------**उत्तरदातागण/ डिक्रीदार**

3- अशोक कुमार सेठी पुत्र श्री रामलाल सेठी

4- राजकुमार सेठी पुत्र श्री रामलाल सेठी

निवासीगण मकान नं 705 व 706 मसीहागंज सीपरी बाजार झांसी।

---**औपचारिक उत्तरदातागण।**

निर्णय

1. विद्वान सिविल जज (जू. डि.) / एफ. टी. सी, झांसी द्वारा निष्पादन वाद संख्या 13/ 2010 नईम अख्तर बनाम अशोक कुमार आदि के मामले में पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांक 06. 02. 2023 से व्यथित होकर पुनरीक्षणकर्ता ने प्रस्तुत **सिविल पुनरीक्षण** संस्थित किया है।

2. पुनरीक्षणकर्ता ने उपरोक्त आक्षेपित आदेश दिनांक 06. 02. 2023 से व्यथित होकर प्रस्तुत सिविल पुनरीक्षण निम्न आधारों पर संस्थित किया है। पुनरीक्षणकर्ता ने पुनरीक्षण में यह आधार लिया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश पूर्णतः खिलाफ कानून एवं वाक्यात है,जिसमें प्राप्त क्षेत्राधिकार का अनुचित प्रयोग किया गया है। उक्त सम्प्रेषण में उल्लेखनीय है कि आर्डरशीट पर दिनांक 20. 02. 2023 की तिथि को काटकर निगरानीकर्ता की अनुपस्थिति में दिनांक 10. 02. 2023 नियुक्त करके वादकारी की आस्था को आघात पहुंचा है,इस तरह प्रश्नगत आदेश निरस्त होने योग्य है। निष्पादन वाद संख्या 13/ 2010 के विरूद्ध आपत्तियां विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है,जिसमें सुनवाई की तिथि 20. 02. 2023 प्रदान की गयी थी,जिसमें निष्पादन वाद की कार्यवाही स्टे रखे जाने का प्रार्थनापत्र आज भी अनिस्तारित है। इसलिए आपत्तियों के निस्तारण के पूर्व निष्पादन वाद की कार्यवाही में अग्रिम कार्यवाही का सम्पादन किया जाना जैसे दखल परवाना व पुलिस बल आदि के बावत आख्या आहूत किया जाना न केवल सारवान अनियमितता है बल्कि तात्विक त्रुटि भी है।इस प्रकान प्रश्नगत आदेश दूषित है,तदनुसार पुनरीक्षण के अन्तर्गत निरस्त होने योग्य है। विद्वान विचारण न्यायालय को दिनांक 10. 02. 2023 को स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करके आपत्तियों के बावत अवगत कराया गया परन्तु विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा स्थगन प्रार्थनापत्र का कोई उल्लेख उक्त आदेश में नही किया गया है बल्कि आपत्तिकर्ता / निर्णीतऋणी को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अनुपस्थित दिखाया गया जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और प्राप्त क्षेत्राधिकार की परिधि से परे है। पुनरीक्षणकर्ता को

Digitally signed by NETRA PAL SINGH
Date: 2026.08.03 16:46:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

दिनांक 06. 02. 2023 को 20. 02. 2023 की तिथि प्रदान की गयी थी और उक्त तिथि दिनांक 06. 02. 2023 में भी पुनरीक्षणकर्ता को अनुपस्थित दिखाकर पुनरीक्षणकर्ता की अनुपस्थिति में आदेश पारित कर दिया गया जो पूर्णतः विधि विरूद्ध है और प्रकीर्ण वाद संख्या 24/ 2023 के लम्बनकाल में उक्त आदेश पूर्णतः क्षेत्राधिकार की दुरूपयोग की परिधि में आता है। तदनुसार पुनरीक्षण के अन्तर्गत प्रश्नगत आदेश निरस्त होने योग्य है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित करके प्राप्त क्षेत्राधिकार का गम्भीर रूप से दुरूपयोग किया है और तिथि में बिना सूचना के परिवर्तन करके पद का दुरूपयोग किया है। इस तरह प्रश्नगत आदेश दूषित है और वहालात मौजूदा कानून गलत है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश की जानकारी दिनांक 13. 02. 2023 को उस समय हुई जब पुनरीक्षणकर्ता अपने अधिवक्ता से पूछने लगा कि उक्त कार्यवाही में दिनांक 20. 02. 2023 प्रदान की गयी थी और तिथि में परिवर्तन हुआ था तो अधिवक्ता को अथवा पक्षकार को सूचना आवश्यक थी। परन्तु उक्त प्रक्रिया का पालन न करके विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्राप्त क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है। तदनुसार प्रश्नगत आदेश पुनरीक्षण के अन्तर्गत निरस्त होने योग्य है। पुनरीक्षणकर्ता ने उपरोक्त आधार पर निगरानी स्वीकार किए जाने एवं आक्षेपित आदेश को अपास्त करने की याचना की गयी है।

3. मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि डिक्रीदार नईम अख्तर आदि की ओर से प्रस्तुत निष्पादन वाद संख्या 13/ 2010 नईम अख्तर बनाम अशोक कुमार के मामले में दिनांक 25. 04. 2022 को इस आशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया कि न्यायालय अमीन को प्रश्नगत स्थल का कब्जा दिलाने के लिए भेजा गया तो निर्णीत ऋणी ताला डालकर भाग गए, जिससे कब्जे की कार्यवाही संचालित नही हो सकी। विद्वान निष्पादन न्यायालय से याचना की गयी है कि ताला तोडने की अनुमति प्रदान की जाये। विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों पर विचार करते हुए तथा न्यायालय अमीन की आख्या के आधार पर यह पाया गया कि ताला तोडने की अनुमति दिया जाना आवश्यक है। विचारण न्यायालय ने अमीन से यह आख्या तलब की कि वह अवगत कराये कि विवादित स्थल पर कब्जा दखल दिलाये जाने हेतु उन्हें कितने पुलिस बल की आवश्यकता है। विचारण न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी उल्लिखित किया है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 22. 11. 2019 के अनुसार निष्पादन वाद संख्या 13/ 2010 का निष्पादन शीघ्रातिशीघ्र किए जाने के लिए आदेशित किया गया है। निगरानीकर्ता प्रमोद कुमार सेठी द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 06. 02. 2023 के विरूद्ध यह सिविल निगरानी योजित की गयी है।

4. सिविल निगरानी की सुनवाई हेतु उत्तरदातागण को नोटिस जारी किये गये है। उत्तरदाता संख्या 1 व 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुये है। निगरानी की सुनवाई हेतु निगरानीकर्ता की ओर से कोई भी विद्वान अधिवक्ता उपस्थित नही हुये है जबकि न्यायालय द्वारा बार बार निगरानीकर्ता को निर्देशित किया गया है कि निगरानीकर्ता बहस हेतु उपस्थित हो और सिविल निगरानी के निस्तारण में सहयोग करे।उत्तरदाता संख्या 1 व 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस की गयी है। निगरानीकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नही है परन्तु मामले की परिस्थितियों में इस सिविल निगरानी को अनुपस्थिति में खारिज करने की बजाए प्रकरण को गुण दोष के आधार पर निर्णीत किया जाना न्यायसंगत है। तदनुसार उपलब्ध प्रपत्रों के आधार पर निगरानी का निस्तारण गुण दोष के आधार पर किया जा रहा है।

5. प्रस्तुत मामले में निगरानीकर्ता प्रमोद कुमार सेठी ने विचारण न्यायालय के आदेश

दिनांक 06. 02. 2023 जिसके माध्यम से विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 22. 11. 2019 के अनुपालन में निष्पादन वाद का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के उददेश्य से अमीन से डिक्री के निष्पादन में कब्जा दखल हेतु आवश्यक व अपेक्षित पुलिस बल की संख्या के संबंध में आख्या आहूत की गयी है तथा इसी आदेश के विरूद्ध यह सिविल निगरानी योजित की गयी है।

6- धारा 115 सी. पी. सी. में सिविल निगरानी विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकारिता का गलत ढंग से प्रयोग करने, क्षेत्राधिकारिता का प्रयोग करने में विफल रहने अथवा क्षेत्राधिकारिता का अवैध रूप से प्रयोग करने के उपरांत पारित आदेश के संबंध में ही योजित की जा सकती है। धारा 115 सी. पी. सी. में आदेश अंतिम प्रकृति का होना चाहिए तथा यदि आदेश अंतरवर्ती है, तो उसके विरूद्ध सिविल निगरानी पोषणीय नही है। उत्तरदाता संख्या 1 व 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि निष्पादन वाद संख्या 13/ 2010 में उत्तरदाता संख्या 1 व 2 को डिक्री के निष्पादन में कब्जा काफी समय पूर्व ही प्राप्त हो चुका है। न्यायालय के आदेश दिनांकित 06. 02. 2023 का अनुपालन पूर्ण रूप से हो चुका है तथा निष्पादन वाद में केवल धनराशि की वसूली आदि की ही कार्यवाही शेष है। विचारण न्यायालय में निष्पादन वाद संख्या 13/ 2010 वर्ष 2010 से लम्बित चल रहा है जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निष्पादन वादों का निस्तारण 06 माह की अवधि में करने के लिए निर्देशित किया गया है। यह निगरानी विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष लम्बित निष्पादन वाद की कार्यवाही को विलम्बित करने के आशय से योजित की गयी है जबकि आक्षेपित आदेश का पूर्व में ही अनुपालन किया जा चुका है तथा डिक्री के निष्पादन में डिक्रीदार को कब्जा दखल प्राप्त हो चुका है। निगरानीकर्ता पिछली अनेक तिथियों से हाजिर भी नही हो रहा है। आक्षेपित आदेश दिनांकित 06. 02. 2023 अमीन से आख्या मंगाने से संबंधित है जो अन्तरवर्ती प्रकृति का है तथा मामला निर्णीत होने की श्रेणी में नही आता है। विद्वान विचारण न्यायालय सिविल जज (जू. डि.) / एफ. टी. सी, झांसी द्वारा निष्पादन वाद संख्या 13/ 2010 नईम अख्तर बनाम अशोक कुमार आदि में पारित आदेश दिनांक 06. 02. 2023 अपने क्षेत्राधिकारिता एवं विवेकाधिकार का वैध रूप में प्रयोग करते हुए पाया गया है। आक्षेपित आदेश में किसी भी प्रकार की अवैधानिकता अथवा क्षेत्राधिकारिता संबंधी त्रुटि नहीं है। यह सिविल निगरानी आधारहीन एवं बलहीन है, निरस्त किये जाने योग्य है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित- 06. 02. 2023 पुष्ट किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

यह सिविल निगरानी सं०- 11/ 2023 प्रमोद कुमार बनाम नईम अख्तर आदि **निरस्त** की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय सिविल जज (जू. डि.) / एफ. टी. सी, झांसी द्वारा निष्पादन वाद संख्या 13/ 2010 नईम अख्तर बनाम अशोक कुमार आदि में पारित आदेश दिनांकित- 06. 02. 2023 पुष्ट किया जाता है।

इस निर्णय एवं आदेश की प्रति विचारण न्यायालय को सूचनार्थ प्रेषित की जाये।

दिनांक- 01. 08. 2026

(नेत्रपाल सिंह)
अपर जिला न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश
एस. सी. / एस. टी. एक्ट, झाँसी।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षर करके व दिनांक डालकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक- 01. 08. 2026

(नेत्रपाल सिंह)
अपर जिला न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश
एस. सी. / एस. टी. एक्ट, झाँसी।